मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-12

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 (फाल्गुन 26, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 9.03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 17	सहकारिता के लिए एक सौ चौबीस करोड़, नवासी लाख रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक सौ सैंतालीस करोड़, तिरपन लाख, अठानवे हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 17	1
मांग संख्या - 39	2

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री शंकरलाल तिवारी
(5) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री आरिफ अकील

(8) श्री बहादुर सिंह चौहान
(9) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल
(10) श्री बृजमोहन धूत
(11) श्री सत्यदेव कटारे

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

मांग संख्या 17,39 पर मत विभाजन हुआ। मांगों के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के पक्ष में 68 तथा विपक्ष में 16 मत प्राप्त हुए।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मत विभाजन द्वारा मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए सात सौ चौदह करोड़ छप्पन लाख, छियालीस हजार रुपये.
अनुदान संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए सत्रह करोड़, सत्ताईस लाख, पचानवे हजार रुपये.
अनुदान संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए तीन सौ उनचास करोड़, चौरानवे लाख, चौबीस हजार रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए तीन सौ उन्नीस करोड़, बत्तीस लाख, अस्सी हजार रुपये.

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 23	2,3,4,5,7,9
मांग संख्या - 40	1
मांग संख्या - 45	1,2,4
मांग संख्या - 57	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री ओमप्रकाश खटीक

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल
(5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(6) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(8) श्री आरिफ अकील
(9) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला
(10) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन
(11) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(12) श्री बहादुर सिंह चौहान
(13) श्रीमती शशि ठाकुर
(14) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय
(15) श्री बृजमोहन धूत
(16) श्री ध्रुव प्रताप सिंह
(17) श्री शंकर लाल तिवारी
(18) श्री दिलीप सिंह परिहार
(19) श्री मेहरबान सिंह रावत
(20) श्री राजेश यादव
(21) श्री ताराचंद बाबरिया

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास. मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 34	समाज कल्याण के लिए इकतालीस करोड़, बयासी लाख, छह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास के लिए पांच सौ तीन करोड़, अठारह लाख, चालीस हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 34	2,3
मांग संख्या - 55	2

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

(चर्चा अपूर्ण)

02 बजकर 01 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2007 (फाल्गुन 30, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.